



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



F 915475

दस्तावेज द्रस्ट (डीड/न्यास पत्र)

हम कि दिनेश नन्दन राय पुत्र स्व० कपिलदेव राय, मु०-अस्तूपुरा, पोस्ट-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ व श्री देवेन्द्र बहादुर राय पुत्र श्री दिनेश नन्दन राय, मु०-अस्तूपुरा, पोस्ट-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ इस द्रस्ट के संस्थापक द्रस्टी हैं जो दिनांक 22-03-2013 को आरितत्व में लाया गया। हम संस्थापक द्रस्टी राष्ट्रीय, आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, आध्यात्मिक एवं धर्म सुरक्षा, शैक्षिक जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गरीबों के उत्थान एवं अन्य पिछळी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष रुचि रखने के कारण इस द्रस्ट की स्थापना करते हैं। हम दिनेश नन्दन राय संस्थापक द्रस्टी प्रथम/मुख्य द्रस्टी व श्री देवेन्द्र बहादुर राय महासचिव संस्थापक द्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए कपिलदेव राय नारंगी देवी सेवा द्रस्ट की स्थापना करते हैं। इस द्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन, कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों उपर्युक्तों के अन्तर्गत की जायेगी। द्रस्ट का नाम, पता निम्नवत है।

द्रस्ट (न्यास) का नाम— कपिलदेव राय नारंगी देवी सेवा द्रस्ट

द्रस्ट का पता—

मुहल्ला

अस्तूपुरा.

पोरट

मऊनाथ भंजन

थाना

दक्षिणटोला

परगना

सदर

तहसील

सदर

जनपद

मऊ

मुख्यालय— पंजीकृत कार्यालय मु०-अस्तूपुरा, पोस्ट-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ (उ० प्र०) आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

दिनेश नन्दन राय



13

21-3-2013

ग्रन्थ लिख करते का प्रयोग है—**कृष्णकृष्ण**

ग्रन्थ संस्कृत लिखे गए प्राचीनोपराम् ३४२५-३

संस्कृत विद्या का अध्ययन एवं विज्ञान की सम्बन्धितता





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 464254

(2)

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये हैं।

- (1) श्री दिनेश नन्दन राय पुत्र स्व० कपिलदेव राय, मु०—अस्तूपुरा, पोस्ट—मऊनाथ भंजन, जनपद—मऊ (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)
- (2) श्री देवेन्द्र बहादुर राय पुत्र श्री दिनेश नन्दन राय, मु०—अस्तूपुरा, पोस्ट—मऊनाथ भंजन, जनपद—मऊ (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)
- (3) श्रीमती शारदा राय पत्नी श्री दिनेश नन्दन राय, मु०—अस्तूपुरा, पोस्ट—मऊनाथ भंजन, जनपद—मऊ (सदस्य)
- (4) श्रीमती रचना राय पत्नी श्री देवेन्द्र बहादुर राय, मु०—अस्तूपुरा, पोस्ट—मऊनाथ भंजन, जनपद—मऊ (सदस्य)
- (5) श्री सुधीर राय पुत्र श्री दिनेश नन्दन राय, मु०—अस्तूपुरा, पोस्ट—मऊनाथ भंजन, जनपद—मऊ (सदस्य)
- (6) श्रीमती चंचला राय पत्नी श्री सुधीर राय, मु०—अस्तूपुरा, पोस्ट—मऊनाथ भंजन, जनपद—मऊ (सदस्य)
- (7) श्री स्वप्निल राय पुत्र श्री देवेन्द्र बहादुर राय, मु०—अस्तूपुरा, पोस्ट—मऊनाथ भंजन, जनपद—मऊ (सदस्य)

ट्रस्ट का नाम—

कपिलदेव राय नारंगी देवी सेवा ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता—

मुहल्ला—अस्तूपुरा, पोस्ट—मऊनाथ भंजन, जनपद—मऊ

ट्रस्ट का मुख्यालय—

मुहल्ला—अस्तूपुरा, पोस्ट—मऊनाथ भंजन, जनपद—गऊ

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र—

सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य—

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न—भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर कूर्चा के साथ—साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया करना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था, क्रीड़ा वलब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीड़ा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने—कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, संस्थानों की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों

दिनेश न-८८१३५

23 100 21/3/13
 फॉर्म नं. १०० दिनांक
 मुद्रित की पात्र प्रमेक्टेस (म) नियमित
 शब्द मु० तह० जनपद
 स्थाप्य विक्रय स्थान कलेक्टर-मऊ
 नवोज क्रमांक चौथे लाठ० प०-८०
 नियमित



यास पत्र

10,000.00

न्यास की राशि

श्री दिनेश नन्दन राय
पुत्र श्री स्व० कपिलदेव राय

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी अस्तुपुरा सदर मऊ
अस्थायी पता अस्तुपुरा सदर मऊ
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/3/2013 समय 11:42AM
बजे निवन्धन हेतु पेश किया।

100.00

फीस रजिस्ट्री

20

नकल व प्रति शुल्क

120.00

योग

1,000

शब्द लगभग



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के०पी० सिंह
उप निबन्धक सदर

मऊ

22/3/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून


न्यासी

दिनेशनन्दनराय

श्री दिनेश नन्दन राय
पुत्र श्री स्व० कपिलदेव राय

पेशा कृषि

निवासी अस्तुपुरा सदर मऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री यशवन्त सिंह

पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह

पेशा कृषि

निवासी मुशीपुरा सदर मऊ

व श्री वीरेन्द्र सिंह

पुत्र श्री व्यासी सिंह

पेशा कृषि

निवासी डुमरांव मु०बाद गोहना सदर मऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

द्रस्ती निर्वाचनकार्ड



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के०पी० सिंह
उप निबन्धक सदर

मऊ

22/3/2013





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 464255

(3)

को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कूचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र, आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्ध आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला, राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधन से समय—समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय—विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी०टी०सी०, बी०ए०, बी०पी०ए०, टेक्निकल कालेज, सी०बी०ए०इ०, आई०सी०ए०स०इ० के स्कूलों की स्थापना करना। उ० प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश—विदेश से चंदा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेंगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा—आश्रम, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सीय, संस्थानों आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रासलीला, रामलीला, मेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका

फिल्म २०२०-२०२१





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 464256

(4)

संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरितियों, बुराईयों, अंधविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का समय साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्ति (पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह-उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उद्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिजकर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुर्घ विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायती राज, बैंकिंग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सर्तकता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा-यमुना आदि स्वेच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियाँ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक

टिक्केजा न०८८८५



25 100 2113113

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପାଇଁ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 464257

(5)

ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

द्रस्ट का कार्यकाल- द्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस द्रस्ट के संस्थापक द्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम द्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक द्रस्टी की पत्नी/पुत्र या पुत्रवधू जो भी हो संस्थापक द्रस्टी/मुख्य द्रस्टी के पद को धारण करेंगे, परन्तु एक से अधिक पुत्र होने की स्थिति में सभी उत्तराधिकारी पुत्रों/पुत्रवधूओं के बहुमत से मुख्य संस्थापक/मुख्य द्रस्टी का चुनाव होगा परन्तु किसी विशेष परिस्थिति में उत्तराधिकारी अपने बहुमत से मुख्य संस्थापक/मुख्य द्रस्टी को बदल सकते हैं या उनका कार्यकाल निर्धारित कर सकते हैं इनके न रहने पर द्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा।

द्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता- कपिलदेव राय नारंगी देवी सेवा द्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

द्रस्ट की सदस्यता- द्रस्ट में संस्थापक द्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक द्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी एवं द्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक द्रस्टी प्रथम की सहमति से 51,000.00 रुपये (इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह संस्थापक द्रस्टी प्रथम के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस द्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए द्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें द्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होंगे

दिनेश नन्ना अप



96 100 21/31/3

१०० रुपये २६ रुपये १०० दिनांक

नामः अमृत कुली परिवार के लोग
प्राप्ति नामः जनपद

स्थान विभाय स्थान कलेकट्रेट-मरु

स्थाप्य विक्रय स्थान कलेक्टरेट-मऊ

बनोज छाना चौदे ला० मा०-६४

ज्ञोज कृगाह चौदे ला० म०-६

卷之三

gr. 6000

মুসলিম সংবাদ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 464258

(6)

एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से ₹ 51,000.00 (इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा या संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को अंशकालिक प्रबन्धक नियुक्त किया जा सकता है जिसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा। संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी कभी भी नियुक्त प्रबन्धक को कारण बताकर हटा सकता है।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य—

मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी प्रथम —

- 1— संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।
- 2— मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।
- 3— संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 4— किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायिक मत देना।
- 5— आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
- 6— ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
- 7— ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

ट्रिनेज नम्बर २५



क०स० २३ की० १०० दिनांक २१३१३

कॉस्ट कॉस्ट दिनांक


नाम** शुभेश्वर पिता/पति**
आ० मुख्य तहो जनपद

स्टाप्प विक्रय स्थान कलेक्टर-मज.

मनोज कुमार चौधेरी ला० स०-६४



A faint, circular, light blue stamp impression, likely a library or archival mark, centered on the page. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text and possibly a logo or emblem.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 825593

(7)

- 8— मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के अपने कार्य के उपयोग के लिए भूमि भवन का क्रय—विक्रय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करना।
- 9— मुख्य ट्रस्टी द्वारा संचालित किसी संस्था की चल—अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
- 10— मुख्य ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश—विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चन्दा, आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।
- 11— संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
- 12— संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर $\frac{2}{3}$ बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
- 13— किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।
- 14— ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
- 15— ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या द्रिव्युनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।

दिनेश न-दा शुभ



कार्डियोटेक्निक उत्तमी

कॉस० 28 की० 57 दिनांक
 नाम ३६५ फ्रॅट पिला पंजी
 प्रा० मु० ता० जन
 स्टाष्ट विक्रय स्थान कलेक्ट्रेट-मऊ
 मनोज कृष्णाश चौधे ला० मा० ६४

କାନ୍ତିର ପାଦମୁଖ
ପାଦମୁଖ



भारतीय गैर न्यायिक

**पचास
रुपये
₹.50**

भारत

**FIFTY
RUPEES
Rs.50**

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON-JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 825594

(8)

- 16— द्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों को संचालन करना। द्रस्ट के धन को द्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।

महासचिव संस्थापक द्रस्टी द्वितीय—

- 1— मुख्य संरक्षक द्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक द्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य द्रस्टी को अवगत करायेगा।
- 2— बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
- 3— द्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा-निर्देश देना।
- 4— नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य द्रस्टी की अनुमति से जारी करना।
- 5— द्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक द्रस्टी मुख्य द्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य द्रस्टी द्वारा की जा सकती है लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य द्रस्टी के पास सुरक्षित है।
- 6— द्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा द्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
- 7— द्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक द्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

१५ नेशनल नं० २१५



क्र० संख्या २९ की० ५० दिनांक २१/३/१३

नाम २११६८७९ पिता पति
प्राप्त मुद्रा तह जनरल

स्टार्प विक्रय स्थान क्लोकट्रेट-मऊ

सहाय विक्रेता रखाने परामर्श - १०
सहाय विक्रेता रखाए चौकि लाठ म०-६४



AK-82223A

A circular stamp impression with a double-line border. The outer ring contains the text "गोपनीय दस्तावेज़" (Gopanīyā dastāvēj) in Hindi. The inner circle contains the text "कर्ता का संकेतन" (Karta ka sāṅketan) at the top and "उपलब्धि के अवधारणा" (Upalabdhī ke avadhāraṇā) at the bottom.


प्राचीनकाल से विद्युत का उपयोग करने वाली विद्युत उत्पादन की तरीकों में से एक है।

पर विकास के लिए जल संधी का उत्तम प्रयोग करना चाहक, जलांशु के लिए यह एक अति ज्ञानवान् विषय है।

कागजी एवं पत्रों का उपयोग विद्युत ऊर्जा के लिए बहुत अचूक है।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਖੇ ਸੁਣੌਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਤੁ

MS. B. 1. F. 177. fol. 126 verso



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 825595

(9)

सदस्य द्रस्टी—

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं द्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं द्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

द्रस्ट (न्यास) के अंग—

द्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

- 1— साधारण सभा
- 2— प्रबन्धकारिणी द्रस्ट

साधारण सभा (गठन)—साधारण सभा का गठन द्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु द्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें द्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 51,000.00 रु० संस्थापक/मुख्य द्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं किन्तु ये सदस्य द्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी अधिकतम संख्या 9 होगी तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

बैठकें—

- 1— साधारण बैठकें— द्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घण्टे पहले निर्धारित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।
- 2— विशेष बैठक— दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि— साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी द्रस्ट समिति का महासचिव, संस्थापक/मुख्य द्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा द्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

१६८३१-८१-२८५



क्रिप्त ३० रु० ५० दिनांक २१/३/१३
नाम... लिखा/संगीता... २८
मा० मु० २११८८००३२८ तिथि... जनपद
स्टार्ट विक्रय स्थान कलेक्टर-मऊ.
ननोज द्वारा द्यो ला० स. ८०-६५



AK 852 100

। एक साथ यहाँ मिलने की विशेषता यह है कि उसमें यह नामों के बीच अलगाव

भारतीय गैर न्यायिक

**पचास
रुपये
₹.50**

भारत

**FIFTY
RUPEES
Rs.50**

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON-JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 825596

(10)

गणपूर्ति— बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन— साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य— साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

- (अ) वार्षिक आय-व्यय बजट चेक करना।
- (ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।
- (स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।
- (द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय-समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति—

गठन— साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

दि नो २१ न०१ २०५



क्रमांक 31 दिनांक 21/3/13

नाम पिता पति २१ अगस्त २०१९ तह २८
पा० मा० जनपद

३ स्टाष्य विक्रय स्थान कलेक्टर-मज़ मनोज कुमार चौधे ला० म०-६५

ମାତ୍ରାକୁଣ୍ଡଳୀ



卷之三

तीर्थार तक तै कर्मणां प्राप्ति विशीर्णता के से निरापत्ति के अनुभव के लकड़ी - दीर्घार
जाग भूमि यह क्षु ने तो विशीर्णता के अनुभव के लकड़ी - एक विशीर्णता के लकड़ी
। विशीर्णता के लकड़ी विशीर्णता के लकड़ी - एक विशीर्णता के लकड़ी (५)
। विशीर्णता के लकड़ी विशीर्णता के लकड़ी - एक विशीर्णता के लकड़ी (६)
। विशीर्णता के लकड़ी विशीर्णता के लकड़ी - एक विशीर्णता के लकड़ी (७)
। विशीर्णता के लकड़ी विशीर्णता के लकड़ी - एक विशीर्णता के लकड़ी (८)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 825597

(11)

बैठकें—

सामान्य— सामान्य स्थिति में द्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक द्रस्टी प्रबन्धकारिणी द्रस्टी के मुख्य संस्थापक द्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष— विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी द्रस्टी का 2/3 सदस्यों की माँग पर प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि— साधारण स्थिति में प्रबन्धक द्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक द्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक द्रस्टी मुख्य संस्थापक द्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति— प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति—यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या द्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी द्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक द्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की अनुमति आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक द्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य द्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 51,000.00 रुपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य द्रस्टी अथवा महासचिव द्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

टिक्की नम्बर ११५




क०सं७ ३२८ की० दिनांक २१/३/१३
 नाम... श्रीमा/प्रति...
 पा० मु० ४॥५३५८०८८ तह० जनपद
 स्टाष्प विक्रय स्थान कलेपट्रेट-मऊ.
 मनोज कर्मास चौखे ला० म०-८६



AK 82228

ਪਿੰਜਿਆਕਰ ਚਿਨ੍ਹ ਕਮਾਲ ਮੁਖ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਸਤਰ - ਸ਼ਾਸਤਰ

ଶିଳ୍ପ ପିମିକାଲୁଗ୍ରମ ଯା ତୀନି ଦେଖିଲୁଗ୍ରମ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 825598

(12)

प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति के कर्तव्य— प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

- 1— बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
 - 2— द्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा द्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
 - 3— द्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
 - 4— आय-व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण द्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।
21. द्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया—

समय—समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी द्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी द्रस्ट (न्यास) को होगा।

22— द्रस्ट (न्यास) के कोष—

द्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य द्रस्टी, महासचिव संस्थापक द्रस्टी/महासचिव द्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु द्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन द्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा। दसहजार रु. 10,000/- के लागत से द्रस्ट का निर्माण किया जायेगा।

दिनांक १०.१०.२०५



क०स० ३३ श्री० दिनांक २१/३/१३
 नाम० गुरु० विता० अ० ११५५५७०९४८
 या० मु० तंड० जन्मप०

स्थाप विक्रय स्थान कलेक्टरेट-मऊ
ननोज कुनाई घौवे ला० स०-८५

१३८ विक्रम स्वामी बलभद्र-नक्षा

मनोज कुमार चौधरी ८०-५


— 1 —

mostymos



626828

三〇一五·四·二



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 825599

(13)

23— द्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण—

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24— द्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व—

द्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है।

25— द्रस्ट (न्यास) के अभिलेख—

द्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे—सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक/मुख्य द्रस्टी के पास होंगे।


26— कपिलदेव राय नारंगी देवी सेवा द्रस्ट के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से ₹0 5,000.00 (पाँच हजार रुपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध हैं।

27— द्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही— द्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन द्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28— द्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में द्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य द्रस्टी का होगा।

ट्रिप्पल १८९९-२१५





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 825600

(14)

29ए—हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

29बी—संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29सी—केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

29डी—आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

टाईपकर्ता — श्री विजय प्रकाश राय, अंधा मोड़, भीटी—मऊ, मो—9889140261

दिनांक २२.२.२०१३

दस्तखत गवाह

यशवन्त सिंह
फूल-स्वरूप इन्डियन सिंह
मु- भुवनीपुरा अड

२०१३।१०।१५

कोङ्कणीस्टंपुलब्बंपासी ले
ला कुमार बंड

कॉसर 35 रु 21/3/13

नाम 5/11/3525 रु 28
पा० मु० तह १० जनवरी

स्टाम्प विक्रय स्थान कलोकट्रेट-मऊ

मनोज कृष्णाराज चौधे ला० स०-८५

मूलग्रन्थ



AK 825800

आज दिनांक 22/03/2013 को

बहासं 4 जिल्द सं 16

पृष्ठ सं 41 स 68 पर क्रमांक 18

क्रमांक प्राप्ति दस्तावेज़ अधिकारी के हस्ताक्षर

क्रमांक प्राप्ति दस्तावेज़ अधिकारी के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकृत की गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के ०८० सिंह

उप निबन्धक सदर

मऊ

22/3/2013

रु ३०८.५५ रुपये

दाम दरबार

क्रमांक प्राप्ति दस्तावेज़

क्रमांक प्राप्ति दस्तावेज़

तथा दस्तावेज़

२०१३-१४-१५/५५

अधिकारी के हस्ताक्षर

क्रमांक प्राप्ति दस्तावेज़